न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 16/2021

1. सीताराम आयु 52 वर्ष पुत्र श्री झिण्डूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
2. राजू आयु 42 वर्ष वर्ष पुत्र श्री झिण्डूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
3. हमेश आयु 37 वर्ष, वर्ष पुत्र श्री झिण्डूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
4. मु. इन्द्रा आयु 45 वर्ष पुत्री स्व0 झिण्डुराम वर्ष जाति मेघवाल निवासी ग्राम डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
5. मु0 गीता आयु 40 वर्ष पुत्री श्री झिण्डूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
6. मु0 गुड्डी आयु 44 वर्ष पत्नी स्व.मदनलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
7. अनिल आयु 20 वर्ष पुत्र स्व0 मदनलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
8. अशोक आयु 19 वर्ष, पुत्र स्व0 मदनलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

–अपीलार्थी

–बनाम–

1. मामचन्द पुत्र स्व0 सूरजाराम दत्तक पुत्र मालाराम आयु 75 वर्ष जाति मेघवाल निवासी क्यामसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
2. पंजाब नेशन बैंक शाखा बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबंधक।
3. तहसीलदार मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू ।
4. कमला पत्नी पालीराम जाति रैगर निवासी मण्ड्रेला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

– रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अं0धारा 75 अ. राजस्व अधि0 1956 खिलाफ निर्णय न्यायालय
<u>तहसीलदार मलसीसर विरूद्ध नामान्तरण सं[illegible] आदेश दिनांक 27.12.1997</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.31 11:19:24 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

उपस्थितिः–

1. श्री शिव हरिप्रसाद, एडवोकेट –––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री धीरज कुमार बोयल, एडवोकेट–––––रेस्पोडेंट की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता––रेस्पोडेंट सं0 3 की ओर से।

–निर्णय–   दिनांक 30.5.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय विरूद्ध नामान्तरण संख्या 608 आदेश दिनांक 27.12.1997 ग्राम डाबड़ी धीरसिंह न्यायालय तहसीलदार मलसीसर के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि नामांतरण जैर बहस गत खसरा नंबर 81/1 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा खसरा नंबर 207 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा जिसमें हाल खसरा नंबर 243 रकबा 2.36 हैक्टर, खसरा नंबर 508 गैर मु0 रास्ता रकबा 0.16 हैक्टर व खसरा नंबर 509 रकबा 1.91 हैक्टर सरहद मौजा डाबड़ी धीरसिंह में अपीलांट्स के पूर्वज स्व0 झिण्डुराम पुत्र सुरजाराम के सम्पूर्ण हिस्से को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के 1/2 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 3 के आदेशानुसार दिनांक 27.12.1997 विरासतन फौतगी नामांतरण संख्या 608 स्वीकार किया गया जो, अवैध, शून्य कपटपूर्वक बिना क्षेत्राधिकार होने से काबिले खारीज होने योग्य है। अदालत मातहत ने नामांतरण दर्ज करने की प्रक्रिया में तथ्य व विधि की भूल की है, भौतिक कब्जे की जांच नहीं की गई। अपीलांट एवं उसका पूर्वज झिण्डुराम ही कब्जे काश्त था। भूमि पैत्रिक जो सूरजाराम पुत्र मेगा उर्फ मंगलाराम जो दिनांक 7.11.1994 को फौत हो चुका है। उक्त सूरजाराम के जीवनकाल में अर्थात जब रेस्पोडेंट संख्या 1 मामचन्द तत्कालीन समय आयु 2 वर्ष अक्षया तृतीय के दिन हिन्दु उत्तराधिकार एवं दत्तक गृहण अधि0 प्रभाव में आने से पूर्व पारिवारिक रूढि एवं प्रथा के अनुसार Give and Taking के साथ सुरजाराम एवं उसकी पत्नी द्वारा अपने छोटे पुत्र मामचन्द को मालाराम को गोद दे दिया उसी दिन से मा[illegible]तक पुत्र मालाराम हो गया तथा उसी समय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 क्या[illegible] आकर अपने [illegible]के माता–पिता के साथ रहने लगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gaur
Date: 2022.05.31 11:19:24 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

व रह रहा है। गोद जाने के दिनांक से दत्तक गया पुत्र अपनी पैत्रिक सम्पति से निर्मुक्त हो जाता है। अर्थात उत्तरजीविता न्यागमन सम्पति सिद्धांत समाप्त हो जाता है तथा नये परिवाद में अपनी सम्पति में अधिकार समाहित कर लेता है। इसी तरह रेस्पोडेंट संख्या 1 मामचंद भी गोद जाने दिनांक से पैत्रिक सम्पति से निंमुक्त होकर मालाराम दत्तक पिता की सम्पति स्थित क्यामसर में अपने दत्तक माता पिता की सम्पति अर्जित कर परिवार कार्ड में, मतदाता सूचित में, वोटरकार्ड, खाद्य सुरक्षा योजना, वृद्ध पेंशन योजना, अधार कार्ड, श्रमिक कार्ड एवं अन्य सरकारी रिकार्ड में अपन नाम मामचन्द पुत्र मालाराम के नाम दर्ज करवाकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया व कर रहा है तथा दत्तक माता–पिता ही रेस्पोडेंट संख्या 1 दत्तक पिता का खेत खसरा नंबर 57, 58, 59 मौजा क्यामसर में मामचन्द पुत्र मालाराम कौम चमार निवासी क्यामसर दत्तक पुत्र होने से प्राप्त कर चुका है। रेस्पोडेंट संख्या 1 मामचन्द ने दत्तक जाने से पूर्व पैत्रिक सम्पति में किसी प्रकार का हित निहित नहीं किया था क्योंकि मामचन्द रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का पिता सूरजाराम पुत्र मेगा उर्फ मंगलाराम जीवित था। सूरजाराम 7.11.1994 को फौत हुआ था जिसके नाम से अपील की मद संख्या 1 में दर्ज खेत खसरा का राजस्व रिकार्ड दर्ज था। रेस्पोडेंट संख्या 1 दत्तक चले जाने के पश्चात से अपीलांटस एवं उसके पूर्वज झिण्डुराम ही खुद काबिज काश्त कर रहे हैं। नामांतरण की कार्यवाही के वक्त संबंधित खेत के भौतिक कब्जे का उल्लेख नामान्तरण की पुस्त पर किया जाना आवश्यक होता है जो विवादग्रस्त नामांतरण की पुश्त पर किया जाना आवश्यक होता है। अपीलांटसगण जमीन जैर बहस खुद काश्त काबिज रहे हैं, जो रेस्पोडेंट संख्या 1 को गोद जाने व स्व0 दत्तक पिता की सम्पति प्राप्त करने से साबित है। अंत में अपील प्रस्तुत कर न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित आदेश बाबत नामांतरण संख्या 608 दिनांक 27.12.1997 मौजा ग्राम डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ [illegible] मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.31 11:19:24 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः– नामांतरण जैर बहस गत खसरा नंबर 81/1 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा खसरा नंबर 207 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा जिसमें हाल खसरा नंबर 243 रकबा 2.36 हैक्टर, खसरा नंबर 508 गैर मु0 रास्ता रकबा 0.16 हैक्टर व खसरा नंबर 509 रकबा 1.91 हैक्टर सरहद मौजा डाबड़ी धीरसिंह में अपीलांट्स के पूर्वज स्व0 झिण्डुराम पुत्र सुरजाराम के सम्पूर्ण हिस्से को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के 1/2 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 3 के आदेशानुसार दिनांक 27.12.1997 विरासतन फौतगी नामांतरण संख्या 608 स्वीकार किया गया जो, अवैध, शून्य कपटपूर्वक बिना क्षेत्राधिकार होने से काबिले खारीज होने योग्य है। अदालत मातहत ने नामांतरण दर्ज करने की प्रक्रिया में तथ्य व विधि की भूल की है, भौतिक कब्जे की जांच नहीं की गई। अपीलांट एवं उसका पूर्वज झिण्डुराम ही कब्जे काश्त था। भूमि पैत्रिक जो सूरजाराम पुत्र मेगा उर्फ मंगलाराम जो दिनांक 7.11.1994 को फौत हो चुका है। उक्त सूरजाराम के जीवनकाल में अर्थात जब रेस्पोडेंट संख्या 1 मामचन्द तत्कालीन समय आयु 2 वर्ष अक्षया तृतीय के दिन हिन्दु उत्तराधिकार एवं दत्तक गृहण अधि0 प्रभाव में आने से पूर्व पारिवारिक रूढि एवं प्रथा के अनुसार Give and Taking के साथ सुरजाराम एवं उसकी पत्नी द्वारा अपने छोटे पुत्र मामचन्द को मालाराम को गोद दे दिया उसी दिन से मामचन्द दत्तक पुत्र मालाराम हो गया तथा उसी समय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 क्यामसर आकर अपने दत्तक माता–पिता के साथ रहने लगा व रह रहा है। गोद जाने के दिनांक से दत्तक गया पुत्र अपनी पैत्रिक सम्पति से निर्मुक्त हो जाता है। अर्थात् उत्तरजीविता न्यागमन सम्पति सिद्धांत समाप्त हो जाता है तथा नये परिवाद में अपनी सम्पति में अधिकार समाहित कर लेता है। इसी तरह रेस्पोडेंट संख्या 1 मामचंद भी गोद जाने दिनांक से पैत्रिक सम्पति से निर्मुक्त होकर मालाराम दत्तक पिता की सम्पति स्थित क्यामसर में अपने दत्तक माता पिता की सम्पति अर्जित कर परिवार कार्ड में, मतदाता सूचित में, वोटरकार्ड, खाद्य सुरक्षा योजना, वृद्ध पेंशन योजना, अधार कार्ड, श्रमिक कार्ड एवं अन्य सरकारी रिकार्ड में अपन नाम मामचन्द पुत्र मालाराम के [illegible] सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया व कर रहा है तथा दत्तक माता–पिता व रेस्पोडेंट संख्या 1 दत्तक पिता का खेत खसरा नंबर 57, 58, 59 मौजा [illegible] कौम चमार निवासी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.31 11:19:24 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

क्यामसर दत्तक पुत्र होने से प्राप्त कर चुका है। रेस्पोडेंट संख्या 1 मामचन्द ने दत्तक जाने से पूर्व पैत्रिक सम्पति में किसी प्रकार का हित निहित नहीं किया था क्योंकि मामचन्द रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का पिता सूरजाराम पुत्र मेगा उर्फ मंगलाराम जीवित था। सूरजाराम 7.11. 1994 को फौत हुआ था जिसके नाम से अपील की मद संख्या 1 में दर्ज खेत खसरा का राजस्व रिकार्ड दर्ज था। रेस्पोडेंट संख्या 1 दत्तक चले जाने के पश्चात से अपीलांटस एवं उसके पूर्वज झिण्डुराम ही खुद काबिज काश्त कर रहे हैं। नामांतरण की कार्यवाही के वक्त संबंधित खेत के भौतिक कब्जे का उल्लेख नामान्तरण की पुस्त पर किया जाना आवश्यक होता है जो विवादग्रस्त नामांतरण की पुश्त पर किया जाना आवश्यक होता है। अपीलांटसगण जमीन जैर बहस खुद काश्त काबिज रहे हैं, जो रेस्पोडेंट संख्या 1 को गोद जाने व स्व0 दत्तक पिता की सम्पति प्राप्त करने से साबित है। अतः न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित आदेश बाबत नामांतरण संख्या 608 दिनांक 27.12.1997 मौजा ग्राम डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर को निरस्त किया जावे।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि–अपीलांट्स द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई कि जिससे रेस्पोडेंट मामचन्द मालाराम के दत्तक पुत्र के रूप में गोद गया हो साबित होता हो। ना ही मालाराम की सम्पति मामचन्द के नाम का कोई दस्तावेज प्रस्तुत हुआ है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अपीलांट का कथन है कि रेस्पोडेंट दो वर्ष का था तभी मालाराम के गोद चला गया था, तब से पैत्रिक सम्पति से निर्मुक्त होकर दत्तक पिता मालाराम की सम्पति जो क्यामसर में है, दत्तक माता पिता की सम्पति अर्जित कर परिवार कार्ड में, मतदाता सूचि में, वोटर कार्ड, खाद्य सुरक्षा योजना, वृद्ध पेंशन योजना, अधार कार्ड, श्रमिक कार्ड एवं अन्य सरकारी रिकार्ड में अपना नाम मामचन्द पुत्र मालाराम के नाम दर्ज करवाकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया व कर रहा है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 के दत्तक पिता का खेत खसरा नंबर 57, 58, 59 मौजा क्यामसर में मामचन्द पुत्र मालाराम [illegible] निवासी क्यामसर दत्तक पुत्र होने से प्राप्त कर चुका है, लेकिन अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में इस तरह की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही कोई गोदनामा प्रस्तुत हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.31 11:19:24 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

अपीलांट द्वारा नामांतरण संख्या 608 दिनांक 27.12.1997 मौजा ग्राम डाबड़ी धीरसिंह को रेस्पोंडेंट नंबर 1 मामचन्द के दत्तक पिता मालाराम के गोद जाना बताकर 20–22 वर्ष बाद उक्त नामांतरकरण को निरस्त कराना चाहा है। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट मामचंद के गोद जाने का बिन्दु तय होना है। अपीलांट गोद के बिन्दु को तय कराने के लिए सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेंट मामचंद के मालाराम के गोद जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा का आदेश बाबत नामांतरण संख्या 608 दिनांक 27.12.1997 मौजा ग्राम डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 30.5.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/5/2022

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.31 11:19:24 IST
Reason: SelfAttested